फा. सं. 15-08/जीए/2015-16-एफ.एस.एस.ए.आई

**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**

**(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था)**

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफ. डी. ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली **- 110002**

---

23 जून, 2016

विषय : दिनांक 27 जनवरी, 2016 को आयोजित प्राधिकरण की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 26 मई, 2016 को आयोजित 21वीं बैठक में दिनांक 27 जनवरी, 2016 को एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में आयोजित अपनी 20वीं बैठक के कार्यवृत्त को अपनाया।

2. तदनुसार प्राधिकरण की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

हस्ता/-

(राज सिंह)

प्रमुख (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त (14 पृष्ठ)

**दिनांक 27 जनवरी, 2016 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1030 बजे आयोजित**
**खाद्य प्राधिकरण की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त**

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 20वीं बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2016 के 1030 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है। बैठक में उपस्थित न हो पाने वाले सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई।

2. अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया और श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का परिचय दिया। उसके बाद एजेंडा की मदों पर विचार किया गया।

**क. स्थायी मदें:**

**एजेंडा मद सं0 I:**
**सदस्यों द्वारा हितों का प्रकटन**

कार्रवाई आरंभ होने से पूर्व बैठक में उपस्थित सदस्यों को बैठक में विचारार्थ एजेंडा की मदों पर "हितों के विशिष्ट प्रकटन" पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया ।

**एजेंडा मद सं0 II :**
**6 नवंबर, 2015 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

(i) श्री वी. के. ठक्कर, सदस्य ने कहा कि उन द्वारा प्राधिकरण की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर एफ.एस.एस.ए.आई को प्रस्तुत की गई लिखित टिप्पणियाँ मसौदा कार्यवृत्त में शामित नहीं की गई हैं। निदेशक (सामान्य प्रशासन) ने कहा कि टिप्पणियों पर भली-भाँति विचार किया गया था। इस मामले में स्पष्टता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि सदस्य और एफ.एस.एस.ए.आई के बीच हुए पत्राचार की प्रतियाँ सभी सदस्यों को दे दी जाएँ, जो दे दी गईं।

(ii) अन्य कोई टिप्पणी न होने पर प्राधिकरण ने अपनी 19वीं बैठक के यथापरिचालित कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

**मद सं0 III : प्राधिकरण की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट**

सदस्यों ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की। श्री वासुदेव ठक्कर की कुछ टिप्पणियाँ थीं -

(i) एजेंडा मद सं0 19.4 के संबंध में श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य ने कहा कि खेसकी दाल लोगों के लिए हानिकारक है और उन्होंने इस संबंध में वैज्ञानिक परामर्श देने के लिए प्राधिकरण की उपलब्ध मशीनरी का उपयोग करने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्मरण कराया कि इस मद के साथ आई.सी.एम.आर, आई.सी.ए.आर और आई.सी.ए.आर.डी.ए की वैज्ञानिक रिपोर्टें लगाई गई थीं। यह नोट किया गया था कि खेसकी दाल में प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है और इसे देश में 0.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस मामले का प्राधिकरण में सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ था। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सर्वसाधारण की सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए केवल मसौदा अधिसूचना है और इस पर आगे प्राप्त सम्मतियों पर भली-भाँति विचार किया जाएगा।

(ii) एजेंडा मद सं0 19.5 के संबंध में श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य ने पैकेजबंद पेय जल का pH मान 6.5 से घटा कर 6 करने का औचित्य जानना चाहा, जिस पर यह सूचित किया गया कि यह प्रस्ताव भारतीय मानक आईएस 14543:2014 के नवीनतम संस्करण के आधार पर किया गया था। इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो से सीमा कम करने का औचित्य जानने के लिए विवरण मंगाने पर सहमति हुई।

(iii) एजेंडा मद सं0 19.7 के संबंध में यह सूचित किया गया कि वनस्पति तेल प्रसंस्कर्ता इकाइयों की क्षमता परिभाषित करने का मामला वैज्ञानिक समिति के सुपुर्द किया गया था और वैज्ञानिक समिति ने राय दी है कि वनस्पति तेल प्रसंस्कर्ता इकाइयों की क्षमता केवल मीट्रिक टन में आंकी जाए। श्री वासुदेव ठक्कर ने इस संबंध में विधिक माप-विज्ञान विभाग से परामर्श लेने को कहा। इस मामले पर विधिक माप-विज्ञान विभाग सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श बैठक करने पर सहमति हुई।

**मद सं0 IV : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट**

(i) सदस्यों को सी.ई.ओ. की रिपोर्ट की प्रति परिचालित की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाई और गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

(ii) उन्होंने प्रवर्तन गतिविधियों की संक्षिप्त झलक भी प्रस्तुत की और कहा कि एफ.एस.एस अधिनियम के अंतर्गत यथा 30.12.2015 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खाद्य कारोबारियों को कुल 6,61,722 लाइसेंस दिए गए और 26,11,821 कारोबारियों के पंजीकरण किए गए। यह भी बताया गया कि एफ.एस.एस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय अभिनामित अधिकारियों द्वारा कुल 23,576 लाइसेंस दिए गए।

(iii) सी.ई.ओ. ने प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयोजित वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों; उत्पाद अनुमोदन प्रभाग के पास आवेदनों की स्थिति, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अभी तक "प्रशिक्षण और

क्षमता-निर्माण" के अंतर्गत अधिसूचित संस्थाएँ, विनियम प्रभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की स्थिति, कोडेक्स गतिविधियों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2016 के प्रवर्तन की झलक प्रस्तुत की।

(iv) सदस्यों के विभिन्न प्रश्न/सुझाव निम्नानुसार थे:

क) सुश्री श्रेया पांडेय ने अनुरोध किया कि वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों के कार्यवृत्त प्राधिकरण के सदस्यों को परिचालित किए जाएँ।

ख) श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य ने सदस्यों को कार्यसूची 15 दिन पहले परिचालित करने का अनुरोध किया, जिसे नोट किया गया। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि खाद्य प्राधिकरण की बैठक की कार्यसूचियाँ प्राय: समय पर भेजी जाती हैं। फिर भी अब एफ.एस.एस.ए.आई मानक तेजी से बना रही है और इसके लिए वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की बैठकें साथ-साथ हो रही हैं तथा एजेंडा तैयार होते ही उसे सदस्यों को परिचालित कर दिया जाता है।

ग) श्री सलीम वैल्जी, सदस्य ने उत्पाद अनुमोदन संबंधी मामला उठाया और इससे संबंधित दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण इस समय उत्पाद अनुमोदन संबंधी विनियम बना रही है और संपूर्ण देश में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्राधिकरण शीघ्र ही एफ.ए.क्यू जारी करेगी।

घ) श्री सलीम वैल्जी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए छोटे राज्यों के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया। अध्यक्ष महोदय ने सुझाया कि ऐसी स्थिति में छोटे राज्यों के प्रशिक्षण बड़े राज्यों के साथ दिलाए जा सकते हैं।

ङ) श्री अनुपम गोगोई ने खाद्य विश्लेषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर असम में, करने का अनुरोध किया। निदेशक (गुणता आश्वासन) ने उत्तर दिया कि प्राधिकरण इस समय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार कर रही है। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम एक एन.ए.बी.एल प्रत्यायित प्रयोगशाला में दिसंबर 2015 में आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कवर होते ही उन्हें सूचित कर दिया जाएगा।

च) श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य ने प्रकाशित अधिसूचनाओं के हिंदी और अंग्रेजी पाठों में अंतर बताए, जिन्हें ठीक करने के लिए नोट कर लिया गया।

**ख. नियमित एजेंडा मदें:**

सी.ई.ओ की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद एजेंडा की नियमित मदों पर निम्नानुसार विचार-विमर्श हुआ:

**एजेंडा मद सं0 20.1 -**

**1. वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए आंतरिक प्रक्रिया के दिशा-निर्देश**

(i) प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति एवं वैज्ञानिक पैनलों के सदस्यों के चयन के लिए दिशा-निर्देशों का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। सुश्री श्रेया पांडेय, सदस्य ने पात्र उम्मीदवरों के मूल्यांकन के मानदंडों का अवलोकन किया और प्रयोगशालाओं में कार्यरत व सेवा-निवृत्त निश्चित कुशलता रखने वाले कार्मिकों को भी शामिल करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने डॉ. ललिता गौडा और सुश्री श्रेया पांडेय को दिशा-निर्देशों के लिए एक निदर्शी सूची बनाने का अनुरोध किया।

(ii) मौजूदा वैज्ञानिक समिति/पैनल की अवधि बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल) विनियम, 2010 के विनियम 3(iii) और 3(iv) में "लिखित में बताए गए कारणों को छोड़कर" शब्द जोड़कर संशोधन के प्रस्ताव पर श्री वासुदेव ठककर, सदस्य की कुछ टिप्पणियाँ थीं। उन्होंने कहा कि उक्त खंड कारोबार विनियम न होकर नियुक्ति संबंधी विनियम है। यह बताया गया कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है और नियुक्ति विनियम बनाने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। यह भी सुझाव दिया गया कि भविष्य में पूरी वैज्ञानिक समिति/पैनलों को बदलने की बजाय केवल 1/3 सदस्य बदलने पर विचार किया जाए।

(iii) विस्तृत चर्चा के बाद प्राधिकरण ने उपर्युक्त संशोधन पारित करने तथा मौजूदा वैज्ञानिक समिति/पैनल की अवधि छह महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया।

**एजेंडा मद सं0 20.2 -**

**खाद्य पदार्थों - मसालों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 'विश्लेषण पद्धति मैनुअलों' तथा 'नमूने लेने के सामान्य दिशा-निर्देशों' का अंतिमन**

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति द्वारा यथा अनुमोदित तीन मैनुअलों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.3 -**

**चाँदी के वर्क के मानक का पुनरीक्षण**

खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और चाँदी के वर्क के मानक के बारे में वैज्ञानक समिति की सिफारिशों का मसौदा अधिसूचना के लिए अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.4 -**

**चॉकलेट के मानक का पुनरीक्षण**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया। तथापि सी.आई.आई से प्राधिकरण की सदस्य सुश्री मीतू कपूर ने भरी चॉकलेटों में कोको बटर के अलावा 5% से अनधिक वनस्पति वसा डालने तथा चॉकलेट और चॉकलेट उत्पादों के संबंध में कोडेक्स मानक की भाँति भरी चॉकलेट के अंदरूनी संघटक के लिए अलग मानक के उल्लेख के बारे में कुछ टिप्पणियाँ कीं। भरी चॉकलेट के बारे में यह भी उल्लेख था कि उत्पाद के अंदरूनी भाग में यदि कोई ऐसा अथवा ऐसे संघटक हों, जिनके लिए अलग कोडेक्स मानक उपलब्ध हो, तो संघटक पर लागू मानक का अनुपालन हो। ई.यू द्वारा यथानिर्दिष्ट कोको बटर के तीन अन्य समतुल्य उत्पाद अर्थात् बोर्नियो चर्बी, पाम ऑयल और शिया, शामिल करने का सुझाव भी दिया गया, जिसे प्राधिकरण ने मान लिया। सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना के खंड 2.7.4(1) में वनस्पति वसा डालने से संबंधित वाक्य की पुनर्रचना इस प्रकार करने का सुझाव दिया - "भरी चॉकलेटों सहित चॉकलेटों में कोको बटर के अलावा 5% तक वनस्पति वसा भी हो सकती है"। प्राधिकरण ने चॉकलेट के मानकों का उपर्युक्त संशोधनों के साथ अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.5 -**

**परिशोधन प्रक्रिया में एन्जाइमैटिक डिगमिंग को शामिल करना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के उप-विनियम 1.2.18 में परिशोधन प्रक्रिया में एन्जाइमैटिक डिगमिंग को शामिल करने के संबंध में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.6 -**

**भारत में आयातित निष्कर्षित/पेरे गए नारियल तेल की परिशोधन से छूट**

प्राधिकरण ने मद का अनुमोदन किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के विनियम 2.2.1 (1) के निम्न पैराग्राफ को लुप्त करने के संबध में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया - *"आगे, विलायक निष्कर्षण पद्धति से बने तेल और विलायक निष्कर्षण से अथवा अन्यथा बने भारत में आयातित तेल की मानव उपभोग के लिए आपूर्ति केवल परिशोधन के बाद की जाए और वह विनियम 2.2.1 (16) में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। इस प्रकार परिशोधित तेल में हेक्सेन 5.00 ppm से अधिक न हो।"*

**एजेंडा मद सं0 20.7**

**अंत:-इस्टरीकृत वनस्पति वसा को अंत:-इस्टरीकृत वनस्पति वसा/तेल के रूप में परिभाषित करना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और उप-विनियम 2.2.2 में *'अंत:-इस्टरीकृत वनस्पति वसा"* के मौजूदा मानकों का नाम *'अंत:-इस्टरीकृत वनस्पति वसा/तेल"* करने और खंड (vi) अर्थात् -- ''40°C पर ब्यूटिरो-रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 48 से न्यून न हो अथवा 40°C पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4580 से न्यून न हो" का लोप करने के संबंध में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.8 -**

**मिश्र खाद्य वनस्पति तेलों के अधिकतम अनुमत पैक साइज 15 लीटर सहित 15 किग्रा होने के संबंध में**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.14 के खंड (11) में "15 लीटर" शब्दों की जगह "15 किग्रा" शब्द रखने के संबंध में वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का 'इन विनियमों की अंतिम अधिसूचना की तिथि से न्यूनतम 180 दिनों के अंदर' शब्दों के विलोपन की शर्त के अध्यधीन अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.9**

**मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के क्षैतिज मानकों का सुमेलन**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और हिम-शीतित श्रिंप, हिम-शीतित फिनफिश, हिम-शीतित फिश फिलेट और हिम-शीतित सेफैलोपॉड के मानकों संबंधी वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.10**

**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य-संपादन की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 के अनुसार केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्य-संपादन की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 के अनुसार उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 14-1 बहुमत से केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति का अनुमोदन किया, जो श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य के इस प्रस्ताव के विरुद्ध था कि प्राधिकरण पहले सदस्यों की नियुक्ति संबंधी विनियम बनाए और तब तक वर्तमान सी.ए.सी की अवधि बढ़ा सकती है। इस संबंध में नए दिशा-निर्देश यथाशीघ्र बनाने का सुझाव भी दिया गया।

**एजेंडा मद सं0 20.11**

**एफ.एस.एस.ए.आई में विलय किए गए कर्मचारियों की जी. पी. एफ. राशियों, समूह बीमा और पेंशन लाभों का रख-रखाव**

(i) खाद्य प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और एफ.एस.एस.ए.आई में विलय किए गए कर्मचारियों की जी. पी. एफ. राशियों, समूह बीमा और पेंशन लाभों के रख-रखाव के लिए प्रस्तावित जिपमेर मॉडल का अनुमोदन किया।

(ii) श्री वासुदेव ठक्कर, सदस्य ने सुझाव दिया कि इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण को बढ़े हुए बजट का आबंटन किया जाए।

**एजेंडा मद सं0 20.12**

**ग्लुटेनमुक्त और अल्प-ग्लुटेन खाद्य सामग्रियों की अंतिम अधिसूचना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और ग्लुटेनमुक्त तथा अल्प-ग्लुटेन खाद्य सामग्रियों संबंधी अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

**ग. प्राधिकरण की सूचना के लिए मदें**

**एजेंडा मद सं0 20.13 -**

**शुष्कित/नमकीन और शुष्कित मत्स्य उत्पादों की अधिसूचना**

सदस्यों ने एजेंडा की मद की सामग्री को नोट किया।

**एजेंडा मद सं0 20.14**

**मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में बायोटोक्सिनों की सीमा की अधिसूचना**

सदस्यों ने एजेंडा की मद की सामग्री को नोट किया।

**घ. पूरक एजेंडा मदें**

**एजेंडा मद सं0 20.15 -**

**अंतिम (मसौदा) अधिसूचना : खाद्य में भारी धातुओं की सीमाएँ**

(i) प्राधिकरण ने मद पर विचार किया। तथापि कुछ सदस्यों ने उद्योग द्वारा पुनरीक्षित मानक के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया। यह बताया गया कि उनके कार्यान्वयन के लिए उद्योग को आपूर्ति चेन में परिवर्तन कराने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इस पर कार्यान्वयन की तिथि 1 जनवरी, 2017 तय करने का सुझाव दिया गया, जिसका प्राधिकरण ने अनुमोदन किया। इस बात पर भी सहमति हुई कि किसी उत्पाद श्रेणी के

बारे में सम्मतियाँ प्राप्त होने पर सीमाओं को चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित करने के लिए मामलेवार विचार किया जाए।

(ii) प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति द्वारा यथा अनुमोदित भारी धातुओं की सीमाओं संबंधी अंतिम (मसौदा) अधिसूचना का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.16**

**शिशु फार्मूला और शिशु अनुवर्ती फार्मूला, आइसोमाल्टूलोज, और उच्च रेशा डेक्स्ट्रिन में डी.एच.ए तथा ए.आर.ए संबंधी अंतिम (मसौदा) अधिसूचना**

(I) प्राधिकरण ने मसौदे पर विचार किया। परंतु कुछ सदस्यों के कुछ अवलोकन थे। एक सदस्य ने कहा कि अधिसूचना कोडेक्स से मेल नहीं खाती, जिसमें डी.एच.ए के लिए 0.5 प्रतिशत वसीय अम्लों का गाइडेंस अपर लेवल (जी.यू.एल) निर्दिष्ट है। इसे नोट किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में परिवर्तन अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति से शामिल किए जा सकते हैं।

(II) प्राधिकरण ने शिशु फार्मूला और शिशु अनुवर्ती फार्मूला, आइसोमाल्टूलोज, और उच्च रेशा डेक्स्ट्रिन में डी.एच.ए तथा ए.आर.ए संबंधी अंतिम (मसौदा) अधिसूचना का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.17**

**अंतिम (मसौदा) अधिसूचना - पौध स्टेरॉलों (फाइटोस्टेरॉल) का खाद्य संघटकों के रूप में उपयोग**

(i) प्राधिकरण ने मद पर विचार किया। परंतु कुछ सदस्यों की कुछ टिप्पणियाँ थीं। सी.आई.आई से सुश्री मीतू कपूर, सदस्य ने कहा कि फाइटोस्टेरॉल प्रकृति में फाइटोस्टेनॉल जैसा ही होता है। अत: खाद्य सामग्रियों के रूप में जोड़ी जाने वाली सामग्रियों में दोनों को शामिल किया जाना चाहिए। अत: खाद्य उत्पाद और खाद्य संयोजी पदार्थ तथा पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी विनियमों दोनों के संशोधनों में ''मसालेदार चटनियाँ, योगर्ट उत्पाद, सोया और चावल के पेय, रस और मधुरस'' शामिल करने पर सहमति हुई।

(ii) एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि लेबलिंग घोषणा से 'इस्टर' शब्द का लोप कर दिया जाए, जिस पर सहमति हुई।

(iii) प्राधिकरण ने पौध स्टेरॉलों (फाइटोस्टेरॉल) के खाद्य संघटक के रूप में उपयोग संबंधी अंतिम (मसौदा) अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(iv)

**एजेंडा मद सं0 20.18**

**अंतिम (मसौदा) अधिसूचना - खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) संशोधन विनियम, 2015 संबंधी अंतिम (मसौदा) अधिसूचना का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। परंतु सुश्री श्रेया पांडेय की रंगों की सीमा तय करने के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ थीं, जिन पर यह स्पष्ट किया गया कि पैनल ने रंगों पर हितधारकों की टिप्पणियों पर पहले ही विचार कर लिया है। यदि फिर भी उनकी कोई टिप्पणी हो तो वे उन्हें बैठक की समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर एफ.एस.एस.ए.आई को प्रस्तुत कर दें। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सम्मतियों से मसौदा विनियमों में कोई सार्थक परिवर्तन न हो और जो संपादकीय प्रकृति की हों, उन्हें मानकर प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से प्रलेख में शामिल कर लिया जाए।

**एजेंडा मद सं0 20.19**

**तेल और वसा विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 में सुझाया गया अंतिम (मसौदा) संशोधन (मसौदा अधिसूचना: फाइल सं0 4/15015/30/2011/ 30/2011, दिनांक 05.06.2015)**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया तथा तेल और वसा विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 में सुझाए गए अंतिम (मसौदा) संशोधन (मसौदा अधिसूचना: फाइल सं0 4/15015/30/2011/30/2011, दिनांक 05.06.2015) का अनुमोदन किया। तथापि, अध्यक्ष महोदय ने 'श्रेणी शीर्षक' हैडिंग के अंतर्गत 'स्रोत' शब्द को हटाकर खाद्य तेल विशेष का नाम देने का सुझाव दिया, जिस पर सहमति हुई।

**एजेंडा मद सं0 20.20 -**

**दूध और खाद्य वनस्पति तेल का पौष्टिकीकरण**

I. **टोन्ड, डबल टोन्ड और मखनिया दूध का पौष्टिकीकरण; और**

II. **खाद्य वनस्पति तेलों का विटामिन ए और डी से पौष्टिकीकरण।**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और टोन्ड, डबल टोन्ड और मखनिया दूध के पौष्टिकीकरण और खाद्य वनस्पति तेलों के विटामिन ए और डी से पौष्टिकीकरण संबंधी मसौदा अधिसूचनाओं का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.21 -**

**खाद्य लैक्टोज के लिए नए मानक का निर्धारण**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य लैक्टोज के मानक संबंधी मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.22 -**

**खीर अथवा पायसम अथवा अन्य किसी लोकप्रिय नाम वाले ऐसे ही उत्पाद के लिए नए मानक का निर्धारण**

एजेंडा की मद को वापस ले लिया गया, क्योंकि प्राधिकरण का विचार था कि ऐसे मानक से नवाचार सीमित हो जाएँगे और ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए।

**एजेंडा मद सं0 20.23 -**

**खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.5.1 (क) में पशु-प्रजातियों में खरगोश कुल अर्थात् *Leporidae* को शामिल करना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.5.1 (क) में पशु-प्रजातियों में खरगोश कुल अर्थात् *Leporidae* को शामिल करने संबंधी वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.24 -**

**पेस्टीसाइडों की एम.आर.एल तय करना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति द्वारा यथाप्रस्तावित एम.आर.एल का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.25 -**

**फलों और सब्जियों और उनके उत्पादों के लिए सूक्ष्म-जैविक मानक**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और फलों और सब्जियों और उनके उत्पादों के लिए सूक्ष्म-जैविक मानकों का अनुमोदन किया। तथापि, डॉ. ललिता गौडा ने मसौदा में संगत परीक्षण पद्धति मैनुअल का हवाला देने का सुझाव दिया, जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

**एजेंडा मद सं0 20.26 -**

I. **टेबल जैतूनों के मानकों की पुनरीक्षा; और**

II. **बीजरहित इमली के नए मानक का निर्धारण।**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और टेबल जैतूनों तथा बीजरहित इमली के मानकों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.27 -**

I. **पास्ता उत्पदों के मानकों की पुनरीक्षा; और**

II. **ओट के नए मानक का निर्धारण।**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और कार्यसूची की मदों का, पास्ता उत्पादों की परिभाषा निम्नानुसार तय करते हुए, अनुमोदन किया:

पास्ता उत्पादों से तात्पर्य वे उत्पाद हैं जो अकेले सूजी, मैदा, चावल के आटे, सोया के खाद्य आटे अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.4 में कवर किसी अन्य अनाज के आटे अथवा उनके मिश्रण में दूध पाउडर, मसाले, वनस्पति और उनके उत्पाद और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य संयोजी पदार्थ) विनियम, 2011 के अंतर्गत अनुमत कोई अन्य संघटक मिलाकर अथवा मिलाए बिना बनाया जाता है।

**एजेंडा मद सं0 20.28 -**

I. **मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के क्षैतिज मानकों का सुमेलन; और**

II. **मत्स्य पर भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को अपनाना।**

(i) प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

(ii) श्री सलीम वैल्जी ने उप-खंड "3.1 डिब्बाबंद मत्स्य उत्पादों की कच्ची सामग्री" के अंतर्गत मानव उपभोग के लिए ताजा बेची जाने वाली मछली की उपयुक्त गुणता का प्रमाणन करने का उल्लेख किया, जिसके बारे में डॉ. ललिता गौडा ने स्पष्ट किया कि इसे बाजार में उपलब्ध उपकरण से जाँचा जा सकता है।

एजेंडा **मद सं0 20.29 -**

**हिस्टेमाइन-उत्पादक मत्स्य प्रजातियों की सूची और मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के लिए हिस्टेमाइन स्तर**

प्राधिकरण ने मद पर विचार कर उसका अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.30**

**खाद्य गुणता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास/सर्वेक्षण की योजना के दिशा-निर्देश**

(i) प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य गुणता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास/सर्वेक्षण की योजना के यथाप्रस्तुत दिशा-निर्देशों का निम्नलिखित अवलोकनों के साथ संशोधन किया:

"अनुसंधान के विषय सुझाव के रूप में हैं और इन्हें समय के साथ बढ़ाया जा सकता है अथवा सटीक बनाया जा सकता है, जो संभवत: प्रतिष्ठित शैक्षिक/अनुसंधान संस्थान और क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों से परामर्श से किया जा सकता है। इस बात पर सहमति हुई कि अध्ययन के कार्य-क्षेत्र और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ज्यादा निधि की आवश्यकता होने पर अपवाद के मामलों में रुपये 50 लाख की राशि में बढ़ौतरी की जा सकती है।

**एजेंडा मद सं0 20.31 -**

**विभिन्न खाद्य उत्पादों के 'विश्लेषण पद्धति मैनुअलों' का अंतिमन**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और (i) तेल और वसा; (ii) माइकोटोक्सिन; (iii) धान्य और धान्य उत्पाद; (iv) खाद्य संयोजी पदार्थ; (v) फल और वनस्पति उत्पाद; और (vi) धातुओं पर खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअलों संबंधी वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.32 -**

**अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ ज्ञात करने के लिए फसल समूहीकरण का सिद्धांत अपनाने की संभावनाएँ**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और अधिकतम अवशिष्ट सीमाएँ ज्ञात करने के लिए फसल समूहीकरण का सिद्धांत अपनाने के प्रस्ताव संबंधी वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.33 -**

**फल पकाने के लिए इथाइलीन गैस का उपयोग शामिल करना**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और वैज्ञानिक समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.34 -**

**विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए विश्लेषण प्रभार**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और खाद्य सुरक्षा ओर मानक विनियम, 2011 में उल्लिखित विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्रस्तावित पुनरीक्षित परीक्षण प्रभारों का अनुमोदन किया।

**एजेंडा मद सं0 20.35**

**खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य अथवा स्वास्थ्य पूरक, पोषण सामग्रियाँ, विशेष आहारीय उपयोगों के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य, प्रयोजनमूलक खाद्य और नव खाद्य) विनियम, 2015 का मसौदा**

प्राधिकरण ने मद पर विचार किया और मानक (खाद्य अथवा स्वास्थ्य पूरक, पोषण सामग्रियाँ, विशेष आहारीय उपयोगों के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य, प्रयोजनमूलक खाद्य और नव खाद्य) विनियम, 2015 के मसौदे का अनुमोदन किया। तथापि, सुश्री श्रेया पांडेय और सुश्री मीतू कपूर की कुछ टिप्पणियाँ थीं। दोनों को अपनी टिप्पणियाँ एफ.एस.एस.ए.आई को बैठक के दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सम्मतियों से मसौदा विनियमों में कोई सार्थक परिवर्तन न हो और जो संपादकीय प्रकृति की हों, उन्हें मानकर प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से प्रलेख में शामिल कर लिया जाए।

**एजेंडा मद सं0 20.36**

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद**

श्री ठांगलुरा ने कहा कि सभी राज्यों में अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाली खाद्य प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएँ और छोटे विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और पंजीकरण शुल्क में परिवर्तन किया जाए। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के खाद्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध भी किया। जवाब में सी.ई.ओ ने कहा कि राज्यों की खाद्य प्रयोगशालाओं की योजना बनाई जा रही है और लाइसेंस तथा पंजीकरण शुल्क के स्लैबों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

श्री ठांगलुरा ने पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा-पार के व्यापार का मुद्दा भी उठाया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर सीमा शुल्क विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

डॉ. ललिता गौडा ने भ्रामक विज्ञापनों और उनसे संबंधित मार्किटिंग की कार्य-पद्धतियों के संबंध में चिंता जताई। इस पर अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि प्रवर्तन कार्य राज्य सरकारों का है और कुछ कार्य उपभोक्ता मामले मंत्रालय के पास हैं। तथापि, इस बारे में उपभोक्ताओं को लेबलिंग अपेक्षाओं के प्रति जागरूक बनाकर कार्रवाई की जा सकती है।

श्री अनुपम गोगोई ने प्राधिकरण को असम में प्रयोगशाला सुविधाओं के संबंध में अनुरोध किया। इस पर सुश्री अनुराधा प्रसाद ने सुझाव दिया कि इस संबंध में राज्य द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रयोगशाला योजना का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

समापन वक्तव्य में अध्यक्ष महोदय ने वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के कार्य की सराहना की, जिससे प्राधिकरण मानकों का निर्धारण तेजी से कर सकी।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

| | |
|---|---|
| हस्ता/- | हस्ता/- |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी | अध्यक्ष |

**क. प्राधिकरण के सदस्य**

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन कुमार अग्रवाल, सदस्य सचिव;
3. श्री के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
4. श्री पी. वी. रामशास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग;
5. डॉ. रीता वशिष्ठ, अपर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
6. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;
7. डॉ. जी. एस. टुटेजा, निदेशक, मरु औषध अनुसंधान केंद्र (डीएमआरसी), नई दिल्ली;
8. डॉ. (सुश्री) ललिता रामकृष्ण गौडा, मुख्य वैज्ञानिक, प्रोटीन रसायन एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सी.एफ.टी.आर.आई, मैसूर, कर्नाटक;
9. श्री सलीम ए. वैल्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोआ;
10. श्री सुखविंदर सिंह, अभिनामित अधिकारी, चंडीगढ़;
11. श्री अनुपम गोगोई, खाद्य विश्लेषक, राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, असम;
12. डॉ. ए. आर. शर्मा, सी.एम.डी, मेसर्स रिसेला हेल्थ फूड्स लिमिटेड, विलेज मनवाला, सैरों रोड, धुरी, संगरूर, पंजाब;
13. श्री वासुदेव के. ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड ड्यूटी एन.जी.ओ;
14. सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन;
15. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी.आई.आई;
16. श्री ठांगलुरा, मिजोरम कन्ज्यूमर्स यूनियन, लालाट चैंबर;
17. श्री अबुकलाम, मदीना मुनवारा कॉफी इस्टेट।

**ख. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी**

1. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
2. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
3. डॉ. संध्या काबरा, निदेशक (क्यू. ए./विधि)
4. श्री बिमल दुबे, निदेशक (आयात)
5. श्री रोकश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन)
6. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (पी.ए.)
7. श्री तन्मय प्रसाद, मुख्य सूचना एवं तकनीकी अधिकारी
8. डॉ. धीर सिंह, संयुक्त निदेशक (मानक)
9. श्री अजय तिवारी, उप निदेशक (क्यू.ए.)
10. डॉ. ए. के. शर्मा, परामार्शदाता

11. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता

12. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम)

13. श्री एस. एस. मीणा, सहायक निदेशक (प्रबंधन)

14. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv (I)

- : -